न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 69 / 2024(GCMS 2024/245)
(RTI No. 212206438996702)

श्री मुनीष कौंदल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी गांव धन पो.आ. मतलाहर तहसील ज्वाली जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश–176023

बनाम

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुनीष कौंदल स्वयं नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुनीष कौंदल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> Please Provide the copy of cancellation order of allotment of Murabba N. 39/85 of Chek No. 22P Which was issued to Smt. Guddi Devi D/o Late Sh. Mangat Ram alias [illegible] re proceding of Murabba file No. 6 containing 17 page[illegible] Deputy Commissioner Kangra at Dharamshala [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

 अपील सूचना अधिकार संख्या 69 / 2024

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(5)( )/आरटीआई/राजस्व/2024/2049 दिनांक 03.07.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपील लोक सूचना अधिकार अधिनियम संख्या 69/2024 मुनीष कौंडल बनाम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ता.पेशी 05.03.2025 के संबंध में आप द्वारा टिप्पणी मय कार्यालय रिकार्ड चाहा गया है।
>
> प्रार्थी श्री मुनीष कौंडल द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2024 द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक एफ 41(5)( )आरटीआई/राजस्व/2024/2105 दिनांक 22.07.2024 द्वारा आवेदक को भिजवाई जा चुकी है। जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थी को निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। कृपया अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 41(5)( )आरटीआई/राजस्व/2024/ 2105 दिनांक 22.07.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना श्रीमती गुड्डी देवी की मूल आवंटन पत्रावली में उपलब्ध हो सकती है। इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार एसडीएम अनूपगढ से प्राप्त श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री मंगतराम की मूल आवंटन पत्रावली इस कार्यालय के पत्रांक एफ 12(2)(308–अभ्या)राजस्व/16/7281 दिनांक 24.10.2016 द्वारा [illegible] बीकानेर को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त [illegible] प्रेषित की जा रही है। यदि आप उपलब्ध [illegible] संतुष्ट नहीं है तो श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को [illegible] कर सकते है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2105 दिनांक 22.07.2024 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक [illegible] दफ़्तर हो।

यह आदेश आज [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर